रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3830] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 2019/ अग्रहायण 4, 1941
No. 3830] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 2019/AGRAHAYANA 4, 1941

गृह मंत्रालय

(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2019

का.आ. 4257(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 3161 (अ.), दिनांक 24 नवम्बर, 2015 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्द्वारा सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ राज्य के सिविल जिला बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीरचम्पा, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, अंबिकापुर में सर्गुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, बैकुंठपुर स्थित कोरिया में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CTCR DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2019

S.O. 4257(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3161 (E), dated the 24th November, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh, hereby designates the Court of Sessions Judge, Bilaspur as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the above said Act for the trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend over the Civil District of Bilaspur, Mungeli, Janjgirchampa, Korba, Raigarh, Jashpur, Surguja at Ambikapur, Balrampur-Ramanujganj, Surajpur, Koriya at Baikinthpur of the State of Chhattisgarh.

[F.No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2019

का.आ. 4258(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 3161 (अ.), दिनांक 24 नवम्बर, 2015 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ राज्य के सिविल जिला रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनंदगांव और कबीरधाम (कवर्धा) में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2019

S.O. 4258(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3161 (E), dated the 24th November, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh, hereby designates the Court of Sessions Judge, Raipur as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the above said Act for the trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend over the Civil District Raipur, Mahasamund, Dhamtari, Balodabazar, Durg, Bemetara, Balod, Rajnandgaon & Kabirdham (Kawardha) of the State of Chhattisgarh.

[F.No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2019

का.आ. 4259(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 4219 (अ.), दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 और का.आ. 1788 (अ.), दिनांक 5 जून, 2017, के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर स्थित बस्तर के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ राज्य के सिविल जिला जगदलपुर स्थित बस्तर, दक्षिण बस्तर दांतेवाडा, कोंडागांव एवं उत्तर बस्तर कांकेर में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2019

S.O. 4259(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4219 (E), dated the 29th December, 2016 and S.O. 1788 (E), dated the 5th June, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh, hereby designates the Court of Sessions Judge, Bastar at Jagdalpur as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the above said Act for the trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend over the Civil District Bastar at Jagdalpur, Dakshin Bastar Dantewada, Kondagaon and Uttar Bastar Kanker of the State of Chhattisgarh.

[F.No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2019

का.आ. 4260(अ).— राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 4219 (अ.), दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 और का.आ. 1788 (अ.), दिनांक 5 जून, 2017, के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ राज्य के सिविल जिला जगदलपुर स्थित बस्तर, दक्षिण बस्तर दांतेवाडा, कोंडागांव एवं उत्तर बस्तर कांकेर में होगा और यह न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर स्थित बस्तर के न्यायालय द्वारा हस्तांतरित मामलों की सुनवाई करेगा ।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)**]**

पियूष गोयल**,** संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2019

S.O. 4260(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4219 (E), dated the 29th December, 2016 and S.O. 1788 (E), dated the 5th June, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh, hereby designates the Court of 1st Additional Sessions Judge, Jagdalpur as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the above said Act for the trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend over the Civil District Bastar at Jagdalpur, Dakshin Bastar Dantewada, Kondagaon and Uttar Bastar Kanker of the State of Chhattisgarh and shall try cases transferred by the Court of Sessions Judge, Bastar at Jagdalpur.

[F.No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2019

का.आ. 4261(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2163 (अ.), दिनांक 1 सितम्बर, 2010 और का.आ. 2535 (अ.), दिनांक 9 अगस्त, 2017 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के

अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार मद्रास न्यायक्षेत्र के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा बम विस्फोट मामलों के विचारण सम्बन्धी सत्र न्यायालय, चेन्नई को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे तमिल नाडू राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2019

S.O. 4261(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2163 (E), dated the 1st September, 2010 and S.O. 2535 (E), dated the 9th August, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Judicature at Madras, hereby designates the Sessions Court for trial of Bomb Blast cases, Chennai as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the above said Act for the trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Tamil Nadu.

[F.No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.26 18:00:35 +05'30'